शब्दावली

1.	**अतिरिक्त लेवी**	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, 31 मार्च 2015 तक इन ब्लॉकों से निष्कर्षित किये गए कोयले की मात्रा पर ₹295 पी एम टी की परिकलित दर पर 42 'उत्पादन कर रहे तथा कोयला उत्पादन को तैयार' कोयला ब्लॉकों के पूर्व आबंटियों द्वारा देय राशि।
2.	**अतिरिक्त अधिमूल्य**	"अवरोही तत्पश्चात् आरोही बोली" के मामले में बोलीदाता (विद्युत क्षेत्र के कोयला खानों के लिए) द्वारा उद्धृत प्रति टन मूल्य।
3.	**बोली शीट**	एक प्रणाली जनित प्रपत्र जो योग्य बोलीदाता के नाम तथा अंतिम बोली कीमत को दर्शाता है जिसे एम एस टी सी लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध किया जाता है।
4.	**कैप्टिव कोयला खान**	कैप्टिव कोयला खान आबंटी की अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु आबंटित खान है।
5.	**अधिकतम मूल्य**	विद्युत क्षेत्र के कोयला खान के लिए प्रति टन सी आई एल अधिसूचित कोयले की कीमत जिससे कम भावी बोलीदाता को अपनी प्रारंभिक कीमत प्रस्तावों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
6.	**सी आई एल अधिसूचित मूल्य**	समय–समय पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कोयले के गुण/श्रेणी/ऊष्मा की मात्रा पर आधारित कोयले की कीमत।
7.	**कोकिंग कोयला**	कोकिंग कोयला, जब वायु के अभाव में गर्म किया जाता है, मजबूत एवं झरझरे समूह के साथ सुसंगत मोतीनुमा आकार ले लेते है, जो वाष्पशीलता से मुक्त है। इसमें कोकिंग विशेषताएँ होती है तथा इनका उपयोग इस्पात निर्माण एवं धातुविज्ञान उद्योगों में होता है तथा ठोस कोक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
8.	**निष्कर्षणीय भंडार**	एक खान का कोयला भण्डार जिसे संभवतः कुल खनन योग्य भण्डार में से निष्कर्षित किया जाना है।
9.	**निर्धारित राशि**	पूर्व आबंटी द्वारा उठाया गया भूमि एवं खान संरचना का मूल्य, निविदा दस्तावेज की लागत, भूगर्भीय प्रतिवेदन की तैयारी पूर्व आबंटियों द्वारा उठाए गए खनन संचालनों से संबंधित सभी सांविधिक लाइसेंस अनुज्ञप्तियों, अनुमतियों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों या मंजूरियों को प्राप्त करने की लागत तथा लेन–देन व्यय (सामूहिक रूप से "निर्धारित राशि")।
10.	**अंतिम मूल्य प्रस्ताव**	ई–नीलामी प्लेटफार्म पर निष्कर्षित कोयले की प्रति टन कीमत जिसे वित्तीय बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
11.	**न्यूनतम मूल्य**	गैर नियमित क्षेत्र की कोयला खान की मूलभूत कीमत के आधार पर परिकलित प्रति टन कीमत जिसके ऊपर भावी बोलीदाताओं को अपने प्रारंभिक कीमत प्रस्तावों को उद्धृत करना अपेक्षित था।
12.	**ऊर्जादायक मूल्य सकल (जी सी वी)**	जी सी वी से आशय संतुलित आधार पर कोयले की उष्मा की मात्रा से है।
13.	**भूगर्भ भण्डार**	भूगर्भीय भण्डार खनन अथवा निष्कर्षित किये जाने वाले भण्डार पर ध्यान दिए बिना कोयला खान का एक संपूर्ण भण्डार है।
14.	**प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव**	निष्कर्षित कोयले की प्रति टन कीमत का वित्तीय बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा जिसे विद्युत क्षेत्र के कोयला खानों के मामले में अधिकतम मूल्य से कम होना चाहिए और गैर नियमित क्षेत्र के कोयला खान के मामले में न्यूनतम मूल्य से अधिक होना चाहिए।

15.	**मर्चेन्ट विद्युत**	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 अथवा धारा 63 के अंतर्गत अनुबंधित किये गए मध्यम या दीर्घ अवधि पी पी ए के बाहर बेची गई विद्युत। मर्चेन्ट विद्युत का विक्रय किया जाना बशर्ते कि विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र की उत्पादन क्षमता अधिकतम 15 *प्रतिशत* हो।
16.	**मध्यम एवं रद्द**	मध्यम फीड कच्चे कोयले के अंश के रूप में कोयले को धोने/धातु शोधन प्रक्रिया का उपफल है। रिजेक्ट फीड कच्चे कोयले के अंश के रूप में स्वच्छ तथा/या मध्यम को अलग करने के पश्चात् कोयला धातु शोधन प्रक्रिया का उत्पाद है।
17.	**खान समापन योजना**	संपूर्ण भण्डार के समापन के पश्चात् एक खान समापन करने की पद्धति का वर्णन करती योजना।
18.	**खान डोज़ियर**	इसमें कोयला खान (विशेष प्रावधान) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा पूर्व आबंटी से कोयला खान से संबंधित माँगी गई सूचना/आँकड़ें सम्मिलित है।
19.	**खान योजना**	खान योजना खान का भूगर्भीय स्थिति के साथ उसकी भूगर्भीय स्थिति के अनुसार खान द्वारा अपेक्षित खनन प्रक्रिया की गणना करती है। यह खान के बारे में सभी उपयुक्त सूचना को उपलब्ध कराती है।
20.	**खनन योग्य भण्डार**	एक खान का कोयला भंडार जिसका खनन संभवतः एक विशिष्ट खनन पद्धति के माध्यम से कुल भूगर्भीय भण्डार में से किया जाएगा।
21.	**ओपन कास्ट खान**	वह खान जिसका खनन ओपन कास्ट खनन पद्धति के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
22.	**पास–थ्रू**	विद्युत उत्पादन लागत का भाग, स्थिर–अस्थिर दोनों, जिन्हें विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के रूप में लिया जा सकता है।
23.	**पिटहेड**	पिटहेड कोयला खान का उच्चतम भाग है।
24.	**विद्युत खरीद अनुबंध (पी पी ए)**	पी पी ए दो दलों एक जो विद्युत का उत्पादन करता है (विक्रेता) तथा दूसरा जो विद्युत को क्रय करना चाहता है (खरीददार) के बीच एक करार है।
25.	**प्रमाणित भण्डार**	खनन के लिए बनाये गये गड्ढे के केन्द्र से 200 मीटर के क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र के कोयला संसाधन।
26.	**निश्चित मूल्य**	निश्चित मूल्य विद्युत क्षेत्र के कोयला खान के लिए ₹/टन में निर्धारित कीमत है, जो सफल आबंटी द्वारा वास्तविक उत्पादन के अनुसार देय है।
27.	**अवरोही बोली**	विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला खान की नीलामी हेतु निर्धारित अवरोही बोली प्रक्रिया के अंतर्गत भावी बोलीदाताओं से अपेक्षित था कि वे अपने प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव को अधिकतम मूल्य (प्रति टन कोयले की सी आई एल अधिसूचित कीमत) से कम रखें।
28.	**खान संचालन के लिए कोयला (आर ओ एम)**	कोयला विनिर्माण संयंत्र हेतु कच्चे माल में कोयला, शिला, मध्यम, खनिज एवं संदूषण समाविष्ट है।
29.	**विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र (एस ई यू पी)**	कोयला खान की नीलामी केवल विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु कोयले के उपयोग जिसमें विद्युत/लोहा एवं इस्पात, सीमेंट का उत्पादन तथा कैप्टिव उपयोग हेतु विद्युत का उत्पादन सम्मिलित है, के उद्देश्य के लिए किया गया।
30.	**उपयोगी ऊष्मा की मात्रा (यू एच वी)**	कोयले की ऊष्मा की मात्रा जिसे एक स्थापित फॉर्मूले के माध्यम से संतुलित आधार पर निर्धारित किया गया।
31.	**खुली विद्युत**	विद्युत जिसके लिए अभी तक कोई पी पी ए हस्ताक्षरित नहीं किये गए।